

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के न्याया. के द्वितीय अतिरिक्त
न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)

**—:: दिनांक—26.05.2020 को वी.सी. के माध्यम से अंतिम
तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची ::—**

क.	प्रकरण क.	पक्षकार का नाम	अपीलार्थी के अधिवक्ता	गैर अपीलार्थी के अधिवक्ता
1.	आर.सी.ए. 400048 / 16	रमेश वि. सुपिरियल जनरल वगै.	श्री टी.आर. साहू	श्री कपिल वर्मा
2.	आर.सी.ए. 400124 / 16	संतरीबाई वगै. वि. शांतिलाल वगै.	श्री सुरेन्द्र मालवीय	श्री सुरेन्द्र चौधरी
3.	आर.सी.ए. 18 / 18	अमरदास—वि.—दीपमाला	श्री खंडेलवाल	श्री उमाशंकर पचोली
4.	आर.सी.ए. 303003 / 16	विमलकुमार वि. भारतचंद रांका	श्री ए0के0 हजारें	श्री रामकिशोर बोरबन
5.	सी.आर.ए. 103 / 17	शासन वि. प्रणय तिवारी	अपर लोक अभियोजक	श्री अखिलेश श्रीवास्तव
6.	सी.आर.ए. 84 / 17	प्रणय वि. शासन	श्री अजीत कुशवाह	अपर लोक अभियोजक
7.	सी.आर.ए. 300048 / 16	हेमू वि. शासन	श्री मनीष राठौर	अपर लोक अभियोजक


(ए.के. दंदेलिया)

प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के
न्याया. के द्वितीय अति.न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के
न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक / 97 / IV-AJ to IASJ/2020

बैतूल, दिनांक 23 मई, 2020

--:: सूचना ::--

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/क्यू/12 जबलपुर, दिनांक 04 मई, 2020 एवं परिपत्र क्रमांक/क्यू/13 जबलपुर, दिनांक 17 मई, 2020 के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक/64 /दो-12-11/2014, बैतूल दिनांक 04.05.2020 एवं विविध आदेश क्रमांक/73/दो-12-11/2014 बैतूल, दिनांक 18.05.2020 के अनुपालन में **दिनांक 26-05-2020** को व्ही.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :-

स.क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	सिविल / आपराधिक
01.	MACC No. 108/2019	सुनीता व अन्य वि. संजीव व अन्य	मो.दु.दावा प्रकरण

sd .

(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक /
प्रतिलिपि,

/IV-AJ to IASJ/20

बैतूल, दिनांक 23 मई, 2020

1. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित अधिवक्तागण/पक्षकारगण/सर्वसाधारण को सूचनार्थ न्यायालय एवं जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय के सूचना पटल पर चशपार्थ।
- ✓ 3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना जिले न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Emc
23/5/2020

(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय:-प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्र...../प्रअजिन्या/2020

मुलताई, दिनांक 23.05.2020

-:: परिपत्र ::-

विषय:- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क. क्यू/11/जबलपुर दिनांक 02.05.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क. 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 15.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक दी जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

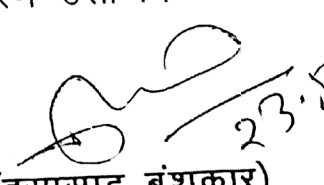
माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क. क्यू/12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क. 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 26.05.2020 को नियत निम्नांकित सिविल प्रकरण दिनांक 26.05.2020 को प्रातः 11:00 बजे से 2:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जाएंगे।

No.	Case No.	CIS No.	Parties Name	Advocate Name	Contact No.	Remark
1.	09/19	09/19	बेलाबाई विरुद्ध नगरपालिका वगै.	1.श्री जे0 पी0 पंवार अधिवक्ता 2.श्री भोजराजससिंह रघुवंशी एजीपी	9406546623 9575711209	

उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई.डी. multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 26.05.2020 को नियत शेष सभी दीवानी प्रकरण उसी दिनांक 26.06.2020 को सुनवाई में लिए जावेंगे।


(हरप्रसाद बंशकार)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश
मुल्ताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला-बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक / द्वि.अ.जि.न्या. / 2020

मुलताई दिनांक 23/05/2020

परिपत्र

विषय :- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 11 जबलपुर दिनांक 02.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पलन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 15.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक की जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुदंगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

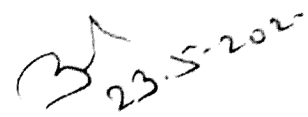
अतः दिनांक **26.05.2020** को नियत निम्नांकित अपराधिक प्रकरण प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेंगे।

क्र	प्रकरण क्र.	सी. आई.एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल नं.	रिमांक
1.	corr no 12/20	मेहरचंद वि० म.प्र. शासन	1. श्री अशोक पाटेकर 2. श्री अभयसिंह ठाकुर	8225940789 7587603170		

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क

प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो वे न्यायालय परिसर में स्थित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-डी multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुवेधाजनक होगा।

दिनांक **26.05.2020** को नियत शेष आपराधिक प्रकरण दिनांक **24.06.2020** उसी प्रक्रम में सुनवाई में लिये जावेंगे।

 23.5.2020

(सुशील कुमार जोशी)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

मुलताई, बैतूल (म.प्र.)

परिपत्र

विषय :- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 11 जबलपुर दिनांक 02.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 18.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक की जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः दिनांक **26.05.2020** को नियत निम्नांकित आपराधिक प्रकरण प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

क्र.	सी.आई.एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल न.	रिमार्क
-	-	-	-	-	-

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क स्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने

में असमर्थ हो, तो वे न्यायालय परिसर में स्थित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शरान प्रसारण के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-डी multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक **23.05.2020** को नियत शेष सभी दीवानी प्रकरण ग्रीष्मकालीन अवकाश में लिये गये हैं जो दिनांक **03.06.2020** में लिये जावेंगे, शेष आपराधिक प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक **22.06.2020** को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिये जावेंगे।


(कृष्णदास महार)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुलताई, बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय-अनीता खजुरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला बैतूल

कमांक- सीजेएम/20 बैतूल

दिनांक-23.05.2020

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय
बैतूल

विषय- दिनांक-26.05.2020 को नियत व्ही.सी.के माध्यम से सुनवाई योग्य प्रकरणों की जानकारी प्रेषित किए जाने बाबत।

संदर्भ- कार्यालय विविध आदेश कमांक-64/दो-12-11/2014 बैतूल दि.-04.05.20।

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि इस न्यायालय में लंबित दिनांक-26.05.2020 को नियत दांडिक, विवेध कार्यवाही एवं सिविल प्रकरणों में से व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई योग्य निम्न प्रकरण है-

क	प्रकरण क/ अपराध क	थाना	पक्षकार	धारा	अधिवक्ता	रिमार्क
1	448/20	बैतूल	राजेश अवस्थी	457 दप्रस	श्री सुरेश ठेंगेवार	केस डायरी प्रतिक्षार्थ
2	318/20	सारणी	सुरजू	457 दप्रस	श्री हीरामन सूर्यवंशी	केस डायरी प्रतिक्षार्थ
3	विविध कार्यवाही (एच.सी.)		श्रीमती सुमन वि. मयंक		श्री अंशुल गर्ग	आवेदन पत्र पर तर्क/विचार
4	विविध कार्यवाही (एच.सी.)		श्रीमती सुमन वि. मयूर		श्री अंशुल गर्ग	आवेदन पत्र पर तर्क/विचार
5	विविध कार्यवाही (एच.सी.)		श्रीमती सुमन वि. वेवेक भदरिया		श्री अंशुल गर्ग	आवेदन पत्र पर तर्क/विचार

23/5/20
(अनीता खजुरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैतूल, जिला बैतूल